role. When the Strategy Paper is finalised, I hope many things can be sorted out.

Vulgarity in Indian Cinema

*82 SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government are aware of increasing vulgarity in the Indian Cinema particularly in dancing gestures and using double meaning words in the songs;

(b) if so, whether any assessment has been made of its adverse impact on our young generation and findings thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what measures have been contemplated to check this trend?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Complaints/press reports about increase in vulgar scenes in films are received by Government from time to time.

(b) and (c) It has been decided recently to entrust a study on "Sex and violence in films and its impact on society" to the Indian Institute of Mass Communication.

(d) In accordance with the provisions of the Cinematograph Act, 1952, all films are exhibited only after clearance by the Central Board of Film Certification. The Board, while certifying films, *inter alia*, ensures that the medium of films remains responsible and sensitive to the values and standards of society without unduly curbing artistic expression and creative freedom.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Mr. Chairman, Sir, the bureaucratic reply which has been given reminds me of an old proverb: 'Nero was fiddling when Rome was burning'. Sir, the fact of life is, parents all over the country are warried about the future of their children—college-going and even school-going children. Newspaper are full of such heinous crimes as teenaged girls being raped by older people, murder and other crimes. In this connection, (a) part of my first supplementary is whether the Government is aware of the judgement of the hon. Supreme Court, delivered by hon. Judges Mr. Justice Jaichandra Reddy and Mr. Justice G.N. Ray, in which they have observed as follows—I quote...

MR. CHAIRMAN: Ask the question.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: But this is the relevant part of the observation—very important —in this regard.

MR. CHAIRMAN: You summarize it and ask the question.

SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI: The Minister cannot reply since he does not know about the judgement.

MR. CHAIRMAN: He will reply.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: In that case...

MR. CHAIRMAN: Summarize it.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: It is only a few lines, Sir. If you please permit me, I will read it out.

MR. CHAIRMAN: All right.

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: "Whether it is compulsory that a heroine should invariably appear on the screen with accentuated angularities, depend depressions and exaggerated protuberances of body"? This is just the first paragraph. Now, in view of this observation of the hon. Supreme Court, I would like to know whether any action has been taken by the Government. This is part (a) of my first supplementary. Part (b) of my first supplementary is whether the Government is aware that financing of the film industry is mostly being done by smugglers and mafia, from within the country and outside, to destory the basic fibre of our society under a long-term strategy? If so, what action does the Government propose to take in this regard to save the society and the younger generation?

श्री सी० एम० इब्राहीम: मान्यवर सभापति महोदय, हालांकि प्रश्न बड़ा गंभीर है क्योंकि मीडिया जो है वह क्रियेटिव मीडिया है। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया है, हाल ही में एक जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट का हुआ है, फूलन देवी की पिक्चर पर। इस पर हाई कोर्ट की एक विचार धारा थी और सुप्रीम कोर्ट की दूसरी विचारधारा थी। हमारा विभाग यह कोशिश कर रहा है और क्योंकि जैसा आपने कहा हम नये हैं—अवश्य, हम नये हैं, डेढ़ महीने पहले हमने इस विभाग को संभाला है। इस विभाग को संभालने के बाद सर्वप्रथम जो हमने अपनी मिनिस्ट्री की मीटिंग की तो उसमें हमने यह प्रश्न उठाया कि जो अखबारों के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से जो आज चित्र प्रदर्शित हो रहे हैं, जो यह हमारे देश की संस्कृति पर मूल प्रहार हो रहा है इसमें आप क्या कर रहे हैं। जो पिछली हमारी मंत्री थीं, उन्होंने भी एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें महिला संसद सदस्यों और समाज के दूसरे अन्य लोगों से इस पर विचार करने के बाद इंडियन मास कम्युनिकेशन जो संस्था है उसको यह कहा था कि हम इस पर किस तरह से निगरानी कर सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिए। दूसरा यह कि सेंसर बोर्ड में 50 परसेंट से ज्यादा महिलायें हैं। एक्जामिनिंग कमेटी जो बनाई गई है उसमें पांच सदस्य हैं। इन पांच में से दो महिलायें हैं। यह पहले एक्जामिनिंग कमेटी में जाता है और वहां से होकर फिर सेंसर बोर्ड में जाता है। अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि सेंसर बोर्ड ने कितना कट किया है। सेंसर बोर्ड में 1992 में जो कट किया गया वह 15 हजार...

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Sir, we are looking for a pointed reply. We are not going to waste...

MR. CHAIRMAN: Please don't comment. Please sit down.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: सेंसर बोर्ड में 50 प्रतिशत महिलायें हैं। यह महिलाओं का अपमान है कि जो चलता है वह महिलायें चलाती हैं। क्या आप यह कहना चाहतें हैं?...**(व्यवधान)**....

MR. CHAIRMAN: Allow him to answer.

श्री सी० एम० इब्राहीम: देखिए में कहना चाहता हूं कि ...**(व्यवधान)**...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: 50 प्रतिशत महिलायें हैं जो चलाती हैं...**(व्यवधान)**...ऐसा जवाब हाउस में नहीं आना चाहिए।.....**(व्यवधान)**... यह महिलाओं का अपमान है...**(व्यवधान)**....

MR. CHAIRMAN: Kindly sit down now, please.

श्री सी० एम० इब्राहीम: मान्यवर से मेरी प्रार्थना यही है कि मैं जो बोलता नहीं हूं वह आप समझते क्यों हैं? मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने हीरोइन के बारे में यह प्रदर्शन किया है कि हीरोइन का लिबास कैसा होना चाहिए।

पुरुष तो मैं बोल नहीं सकता लेकिन सेंसर बोर्ड ने यू० सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने पूछा है कि आपने एक्शन क्या लिया। मैं यह कह रहा हूं कि इस बार 20000 फुट से ज्यादा फिल्म्स के अन्दर हमने कांट-छांट की है। इसके बावजूद भी आज यह हो रहा है, हमारे पत्रों में, अखबारों में आप पढ़ते होंगे। हम चाहते हैं कि जो हमने मॉस कम्युनिकेशन को रेफर किया है वहां से रिपोर्ट मिलने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो फिर महिला सांसदों, पुरुषों या जो इस विचार के हों जो संस्कृति के बारे में ज्यादा ध्यान देते हों, उनसे मैं अवश्य चर्चा करके उनकी राय ले कर हो सकता है कोई बिल आए या आलरेडी राज्य सभा के सामने एक बिल मौजूद है, अगर जरूरत पड़ी तो उसमें तरमीम लाएं। हम भी चाहते हैं कि जो सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद एग्ज़ीबीशन किया जाता है, उसमें जो पांच हजार और एक साल का रखा हुआ है उसको हम बीस हजार रुपये और कम से कम पांच साल की सज़ा मिले, यह हमारी कोशिश है जो हम उस बिल के माध्यम से लाना चाहते हैं। आपकी जो भावना है उसके साथ हमारी पूरी सहमति है। इसमें कोई दो विचार नहीं हैं। जिस संस्कृति की बात आप कर रहे हैं उसको अपहोल्ड करने के लिए हमेशा मेरा विभाग तैयार रहेगा। जो भी सूचना हमें मिलेगी हम कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं।

SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Mr. Chairman, Sir, after the statement of the hon. Minister, the question assumes a greater sensitivity, a dangerous situation in which we are living. Having all women members on the Censor Board and after cutting 20,000 feet of the film, this is the situation. Sir, if it had not been censored, what would have been the situation? In view of this grave situation, would the Minister assure this House that a committee will be formed under the chairmanship of a retired Judge of the Supreme Court to assess the whole situation and to save this

nation from this disaster? This is a grave problem. You will have to tackle it at a faster rate. You will have to tackle it immediately.

श्री सी०एम० इब्राहिम: सर, जब मैं बाहर किसी मीटिंग में गया हुआ था तो मैंने जब संस्कृति के बारे कहा तो आडियेंस में एक कोई उठ कर बोला कि मंत्री शायद एंटीथ सेंचरी का लग रहा है। क्योंकि आज सोसायटी में इस प्रकार की भावना बढ़ गई है। हम चाहते हैं थोड़ा बहुत सेंसरशिप हो लेकिन एक भाग हमारे समाज का ऐसा भी है जो नहीं चाहता है, वह कहता है कि यह हमारा अधिकार है।

It is our right. It is a question of freedom.

मैं तो यह चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है, इस संस्कृति को कोई चोट न आए। उसके अन्दर कोई फ्रीडम चाहते हैं तो हम देने के लिए तैयार हैं। यह चर्चा समाज में शुरू होनी चाहिये। हमारे आजकल के युवक-युवतियों में जिस प्रकार की भावना बढ़ रही हैं ...**(व्यवधान)**

श्री सच्चिदानन्द: यह बात तो ठीक है लेकिन जो कमेटी बैठी है...**(व्यवधान)**

SHRI C.M. IBRAHIM: At present there is no proposal before the Government. The suggestion made by the hon. Member would be definitely looked into by me after getting the report from the Mass Communication. If necessary, the Government would consider that definitely.

SHRI V.P. DURAISAMY: Mr. Chairman, Sir, this problem of obscenity and violence has assumed alarming proportions due to non-observance of relevant guidelines and due to different interpretations by different regional Censor Baords. What is obscene and what is vulgar in Tamil films is not regarded as obscene and vulgar in other language films. So, I expect an answer from the Minister, what steps does his Government propose to take to enforce a uniform law with regard to observance of these guidelines?

SHRI C.M. IBRAHIM: Sir, in this connection, we have already written to the respective State Governments. The States of Tamil Nadu and West Bengal have already passed their own Bills. I would like to compliment these two State Governments who have taken timely action and also for their strict action as far as vulgarity in the films is concerned. I agree with the hon. Member that the standard of vulgarity differs from language to language.

A word normally used in one language may be considered vulgar in another. So it differs from State to State. If I try to bring in a uniform law, I will find that what is considered unparlimentary in Tamil will not be unparliamentary in other languages. I cannot bring uniformity as far as words are concerned. But as far as scenes are concerned, scenes are there everywhere and I can bring in a uniform law. As far as words are concerned, I cannot do that.

कुमारी सरोज खापर्डे: माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर मैं बड़े ध्यान से सुन रही थी लेकिन उनका यह उत्तर मुझे बड़ा असमाधानकारक रहा है। मेरी आज सवाल पूछने की इच्छा नहीं होते हुए भी मुझे पूछना जरूरी महसूस हुआ और मुझे लगा कि आज मंत्री जी से सवाल पूछना चाहिए। मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि आज से कुछ अर्से पहले हमारे देश में "संगम" नाम की एक पिक्चर बनी थी और उसमें एक गीत गाया था "मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया", उसके बाद आज ऐसी-ऐसी फिल्में बनने लगी है कि जिनमें शब्दों में आपत्तिजनक बातें आती हैं कई फिल्मों में, देखी नहीं है लेकिन सुनती हूं कभी-कभी, कान हैं तो बहरापन तो रख नहीं सकती, "तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त", ऐसी सारी जो गीतों में आने वाली गंदगी है, इन गंदगियों के बारे में मुझे ऐसा लगा कि मुझे मंत्री जी से एक बात पूछनी चाहिए कि "संगम" के जमाने में इस गाने को, इस गीत को लेकर काफी हंगामा हुआ था, आज भी हमारे देश में, जो लाईन अभी मैंने यहां बताई उसको लेकर हंगामा हो रहा है। मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आता कि जो शूटिंग होती है उसके सीन तो हम लोग सैंसर करते हैं, लेकिन जब गीत बनते हैं तो उन गीतों को हम लोग सेंसर नहीं करते हैं और डायलाग को भी हम लोग सेंसर नहीं करते हैं। जो दृश्य हम लोग सड़कों पर नहीं दिखा सकते वह गीतों के माध्यम से दिखा रहे हैं। क्या इसके लिए सरकार ने कोई कदम उठाएं हैं कि गीतों के शब्दों को भी हम सेंसर करें?

श्री सी०एम० इब्राहिम: बिल्कुल आपने जो कहा यह बात विभाग के सामने है, जिस तरह से सीन हम सेंसर कर रहे हैं गानों में भी जिस तरह से वलगैरिटी आ रही है, ऐसे पहले भी आप सुने होंगे "चोली के पीछे" वह भी बड़ा डबल मीनिंग गाना था, यह जो है अनफार्चुनेट्ली सर, यह हुआ क्या है कि सरकार से ज्यादा सोशल आर्गेनाइज़ेशंस जिस तरह से सामाजिक संगठन है उनका भी यह कर्तव्य है कि इन चीज़ों का ज्यादा से ज्यादा बहिष्कार करने की कोशिश करें और यह जो आपने कहा कि सेंट्रल बोर्ड आफ् सेंसर में इन सांग्ज़ को भी इन्कलूड करने के लिए मेरा विभाग सोचेगा।

श्री एस०एस० अहलुवालिया: मंत्री जी गलत बोल रहे हैं। बहिष्कार कौन करेगा। कल को अगर पुलिस कार्यवाही नहीं करती है तो जनता पुलिस का बहिष्कार करेगी? आप उसको कंट्रोल करिए गानों का जिस तरह से पैलविक मूवमेंट हो गया, आपकी गाइडलाइन है उसको कौन मान रहा है? आपके सेंसर बोर्ड में लोग उपस्थित नहीं रहते हैं। पैसे लेकर पास करते हैं।

श्री सी०एम० इब्राहिम: सर, यह एक्ट जो है जहां पर वायलेशन आफ् एक्ट है इसका कंट्रोल करना पूरा स्टेट गवर्नमेंट पर है।

कुमारी सरोज खापर्डे: क्यों है?

श्री सी०एम० इब्राहिम: जहां तक बलगैरिटी को कोई एक्सपैकटेशन हो तो स्टेट गवर्नमेंट को भी इस एक्ट के तहत पूरे-पूरे अधिकार दिए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से अगर यह नहीं होता तो हम पूरी तरह से अपनी तरफ से उसको करेंगे। जहां तक फिल्म सेंसर बोर्ड का सवाल है मैंने पहले ही कहा था और आपका प्रश्न यह था कि जैसे सींस का है उसी प्रकार के सांग्स को भी क्या आप सेंसर बोर्ड के हवाले करेंगे।

कुमारी सरोज खापर्डे: सभापति जी, मेरा जो सवाल था वह इसलिए पूछा गया कि ईव टीज़िंग के अंतर्गत जब हमारी बहनें और हमारी बेटियां घर से बाहर निकल कर स्कूलों और कालेजों में जाती हैं तो ईव टीज़िंग के रूप में हम लोग देखते हैं कि बच्चों के लिए, लड़कियों के लिये विशेषकर यह गाने गाकर उनको सताया जाता है। ऐसी हालत में केन्द्रीय सरकार, आप दृश्यों के ऊपर लगाम लगाते हैं, उसके ऊपर तो आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीतों के ऊपर सरकार क्या करेगी? यह मेरा सवाल था आपसे।

श्री सी०एम० इब्राहिम: माननीय सभापति जी, बाहर कोई गीत गाते रहे तो कितने लोगों पर हम सेंसर लगा सकते हैं। सिनेमा के अंदर अगर वह गाने आएं तो अवश्य जो है, हम यह पूरी कोशिश कर सकते हैं .....**(व्यवधान)**

कुमारी सरोज खापर्डे: यह स्वयं बनाकर गाना गाना नहीं है, फिल्मों के हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री सी० एम० इब्राहिम: सिनेमा के अंदर जो भी गाने आएंगे, सेंसर बोर्ड को जो है हम हिदायत करेंगे कि इस तरह के गानों को भी जो है बहिष्कृत किया जाए। ...**(व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN: Shrimati Urmilaben Patel.

कुमारी सरोज खापर्डे: मंत्री जी, आप सिनेमा की जब बात करते हैं तब तो आप सिनेमा की बात बाद में कर लीजिए, लेकिन टेलीविजन के ऊपर यह सब गाने दिखाने पर बैन करिएगा।

श्री सी०एम० इब्राहिम: सर, यह स्कीम जो है, सेंसर बोर्ड आफ फिल्म सर्टिफिकेट स्कीम जो है, टेलीविजन के गाने भी उसकी माध्यम से आने होंगे, इस बात की हिदायत दे सकते हैं।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: माननीय सभापति जी, पिक्चर में जैसे सीन जेस्चर के बारे में कहा जाता है, उसी तरह कहीं बैडरूम सीन भी बताए जाते हैं और सैक्स अपील उसके द्वारा की जाती है। यह गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसके अलावा भी कहीं गुनाही के दृश्य, कहीं एंटी सोशल एक्टिविटीज का भी दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि ज्यादा फिल्म में स्मगलिंग, विलेन और वैसे एलीमेंट का तो पुलिस के साथ फाइटिंग, कहीं लोगों का मर्डर, इस तरह के दृश्य हर फिल्म में आने चाहिएं यह आजकल जरूरी माना जाता है। हमारी जो यंग जनरेशन है, वह होरो को ही देखती है, जो ज्यादातर
विलेन होता है, एंटी सोशल एक्टिविटीज के साथ जुड़ा होता है, उसको ही देखती है और वही उनके जीवन का आदर्श बन जाता है। इससे हमारी नई जनरेशन अपने व्यवहार में कई जगह ऐसी एक्टिविटीज को फॉलो करके खुद को हीरो जैसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यह हम सबका रोज-व-रोज का अनुभव है। तो जैसे यह फिल्म के बारे में यह सेंसर किया जाए, इसके साथ ही ऐसे दृश्यों पर सेंसर लगना चाहिए। अगर हम यह सेंसर कर रहे हैं तो उसमें ऐसे दृश्यों को कट करने के लिए यह मिनिस्टरी क्या सोच रही है? क्या स्टेप लेने जा रही है? इसी के साथ ही ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य: वह आ गए। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: सर, इसी के साथ, मैं माननीय सदस्य जी को भी इसमें जुड़ने के लिए निमंत्रित करूंगी। ....**(व्यवधान)**... आप जो सिनेमा एक्टिविटीज के साथ जुड़े हुए हैं, अपना गुड आफिसेज यूज करके इस बारे में भी ज्यादा मदद कर सकते हैं। दूसरा, मैं कहना चाहती हूं कि हमारी प्रयोगात्मक नीट एंड क्लीन फिल्म जो आती है, ऐसी फिल्मों को ज्यादा एन्क्रेज करना चाहिए। उसको टैक्स फ्री करने के बारे में, आधा टैक्स फ्री करने का प्रबंध तो है, इसके अलावा अन्य प्रबंध का भी विचार होना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Please put your question and conclude.

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल: इसके अलावा, सभापति जी, मैं आपके द्वारा मिनिस्टर साहब से पूछना चाहती हूं कि ऐसी फिल्म को आप क्या प्रोत्साहन देकर एनक्रेज करेंगे और खासतौर पर बच्चों को जो अपील करने वाली फिल्म है, ऐसी फिल्म सैक्शन बनाने के लिए क्या प्रोग्राम तय किया गया है? इसके बारे में मंत्री जी बताएं। यह मैं जानना चाहती हूं।

श्री सी० एम० इब्राहिम: जहां तक टैक्स एग्जम्पशन का सवाल है, यह राज्य सरकारों के माध्यम में आता है। जहां तक उत्तेजना देने का आपने कहा, अवश्य। जो फिल्म अच्छे सीन और नैतिक आधार पर सीन बताती है, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार का है। उसके साथ साथ दूरदर्शन माध्यम में उनको दिखाने के लिए, उनको जो उत्तेजना देने का है, यह तमाम बातें जो हैं चलती आई हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इतना कहता हूं कि जैसा आपने कहा, वायोलेन्स सीन है, वलगरी सीन है, यह सब बातें चली आ रही है और सेंसर बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड जो है, उनकी कोशिश है,काफी कट कर रहे हैं। यह मास कम्युनिकेशन सेंटर को जो हमने इसका रेफर किया है, इसकी स्टडी करके कि इसका इमपेक्ट क्या हो रहा है मासेस पर, वह रिपोर्ट दे। तो यह रिपोर्ट अगर एक बार हमारे सामने आ जाए तो हमारी आशा है, हमारी इच्छा है कि हमारे जो संसद सदस्यगण जो हैं, को इस डिपार्टमेंट में बुलाकर उनके साथ चर्चा करके कोई न कोई उपाय कर लिया जाए। ....**(व्यवधान)**....

कुमारी सरोज खापर्डे: रिपोर्ट कब आ रही है? ...**(व्यवधान)**...

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: इन्होंने, शत्रुघ्न सिन्हा ने फिल्मों में कितने अत्याचार, कितने खून किए, इसकी कोई मालूमात है आपके पास? ...**(व्यवधान)**...

The Questions

**83. [Shri Ghufran Azam) was absent. For answer vide col. 28 infra.]*

Foundation Day celebration by Punjab & Sind Bank

*84. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Punjab & Sind Bank celebrated its 88th year of establishment recently;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether some commitments were made on this occassion to provide prompt and effective services to existing account holders of the Bank;

(d) whether these commitments also included to provide more loans to unemployed educated youths of the country

(e) if so, the details thereof;

(f) whether commitments were also made to convert some of its existing Extension Counters into full fledged branch offices; and

(g) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (g) A Statement is laid on the Table of the House.

(i) Yes, Sir.

Punjab & Sind Bank celebrated its 88th Anniversary on 24th June, 1996. During these celebrations the bank organised the following functions for rededicating itself to the service of the people:—

(i) Customers' Meet at their branches.

(ii) Paying rich tributes to the Founders of the bank.

(iii) Organising free medical camps at various places in collaboration with social organisations like Lions Club etc.

(iv) Deposit mobilisation at various centres.